

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी हु
9/10/22	पत्रावली में वकील बादी व बादी राम लाल एवं बादी रामलाल के पुत्र ने उपस्थित होकर शर्मा पर प्रस्तुत कर जी.सी. एम. एन. प्रकरण संख्या 2017/00225 को विद्वां करने की अनुमति भविष्य में इस पर पत्रावली को सीगट से हलब की गई पत्रावली का एवं प्राथमिकता का भवलीकन किया गया वकील बादीगज को सुना गया। बाद जांच सुनवाई के बाद प्रकरण को विद्वां करने की अनुमति प्रदात की जाही है। पत्रावली में कार्यवाही को इसी स्तर पर बंद की जाही है। पत्रावली केवल सुमाट होकर नम्बर से कम है उपखण्ड अधिकारी डूंगला	रामलाल पुत्र बादी 21/10/22 H.S.